

नारीख
हुम

हुम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुम की तामील
में जारी हुए

16/1/25

पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वादी आदि
अनुपस्थित। वादी एवं वादी आदि वक्ता को
नियमानुसार तीन बार आवाज लगावाई
गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं मिला। समय
5-50 PM हो चुका है। न्यायालय में वादी
को पुनः एक बार आवाज लगाई गई,
परन्तु कोई उपस्थित नहीं आया। वादी
एवं वादी आदि वक्ता के न्यायालय में
उपस्थित नहीं आने के कारण वादीगण
द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 183
शकलान कार्तकारी आदिनिजम की
अदम हावरी- अदम पैली में जारी
फिरा जाग है। निर्णय से हजलात मुनाफा
जागा। डिडी पचा जारी हो।
पत्रावली कमल कुमार
द्वारा तारीख दफ्तर हो तथा नम्बर से
कम हो।


16/1/25

सहायक कलक्टर
मीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी—अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. रामपाल पिता स्व0 घीसु लाल जी पायक निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. सुरेश पिता स्व0 घीसु लाल जी पायक निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. लाड पुत्री स्व0 घीसु लाल जी पायक निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. मु0 सज्जन बाई बेवा स्व0 घीसु लाल जी पायक निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. कालु लाल पिता हुसना जी पायक निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. शांति लाल पिता हुसना जी पायक निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

बाबत कब्जायाबी कृषि आराजीयात

प्रकरण संख्या 64/2014 राजस्व वाद

वादी एवं वादी अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार अनुपस्थित - इस वाद में आज तारीख 16.01.2025 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है-

वादी एवं वादी अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने के कारण वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।


16/1/25
(अरुण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा